फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

प्रेमसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र नम्बर /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.06.2020	प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत प्रकरण धारा 6 ए ई.सी.एक्ट में जब्त वाहन मारूति ओमनी वैन को सुपुर्दगी में दिलाये जाने बावत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी सुपुर्दगार प्रेमसिंह व उनके अभिभाषक उपस्थित । सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना । उनका कथन है कि प्रार्थी वाहन मारूती ओमनी वैन नम्बर आर.जे.05–यू.ए.8542 का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी दिनांक 06.03.2020 को उक्त वाहन को ग्राम अबार तहसील कुम्हेर से लेकर आया था । प्रार्थी लक्ष्मी नगर,भरतपुर में गाड़ी में गैस डलवा रहा था । वाहन में घरेलू खाली गैस सिलण्डर रखा था । जिला स्पेशल टीम भरतपुर द्वारा प्रार्थी का वाहन बिना किसी कारण के गलत प्रकार से धारा 6ए में जब्त कर लिया है । प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना मथुरा गेट पर खुले में खडा होने से खराब होने का पूर्ण अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी में लेने हेतु सुपुर्दनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है । प्रार्थी उक्त वाहन को खुर्द बुर्द नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा जब वाहन चाहा जायेगा, तभी पेश कर दिया जावेगा। न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा,वह प्रार्थी को मंजूर है । प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को सुपुर्दगी में दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है । प्रकरण में पैरोकार रसद को भी सुना । पैरोकार रसद ने जाहिर किया है कि प्रकरण धारा 6ए, ईसी एक्ट सरकार बनाम सतबीर सिंह बगै0 न्यायालय में विचाराधीन है,जिसमें अभी निर्णय होना शेष है । उनका यह भी कहना है कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई हुई है । प्रकरण में प्रार्थी का उक्त वाहन एवं 29 घरेलू गैस सिलण्डर व अन्य सामान भी जब्त किया है । जब्त सामान की साक्ष्य में आवश्यकता होती है । माननीय न्यायालय अगर चाहे तो शर्त के आधार पर वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने का विचार कर सकता है । ––––2	

पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी सुपुर्दगार की प्रार्थना पर गौर किया । प्रकरण धारा 6ए,ईसी एक्ट में उक्त वाहन मारूती ओमनी वैन रजिस्टर्ड नम्बर आर.जे.05–यू.ए.8542 को जब्त किया गया, प्रकरण धारा 6ए,ईसी एक्ट में समय लगने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी सुपुर्दगार दो लाख पचास हजार रूपये का सुपुर्दनामा व दो लाख पचास हजार रूपये का जमानतनामा इन शर्तो का पेश करे कि वह दौराने मुकदमा उक्त वाहन को दीगर जगह रहन–वय, मुन्तकिल नहीं करेगा, रंग बगै0 नहीं बदलेगा तथा न्यायालय हाजा द्वारा वाहन को चाहे जाने पर स्वंय के खर्चे पर पेश करेगा, तो जब्त उक्त वाहन को प्रार्थी सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दिया जाये।

प्रार्थी सुपुर्दगार प्रेमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट उम्र 30 साल निवासी ग्राम अबार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ने वांछित शर्तो के साथ दो लाख पचास हजार रूपये का सुपुर्दनामा पेश किया तथा जामिन अशोक पुत्र फौरनसिंह जाति जाट निवासी अबार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ने वांछित राशि दो लाख पचास हजार रूपये व वांछित शर्तों का जमानतनामा पेश किया । सुपुर्दगार व जामिन की पहचान एडवोकेट पूरनसिंह सिनसिनवार ने की। सुपुर्दनामा व जमानतनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये ।

अतः जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस आशय कि कैफियत जारी हो कि प्रकरण धारा 6ए, ईसी एक्ट राजस्थान सरकार बनाम सतबीर सिंह बगै0 में जब्त वाहन मारूती ओमनी वैन नम्बर आर.जे.05–यू.ए.8542 किसी अन्य प्रकरण में वांछित (Wanted) नहीं हो तो सुपुर्दगार प्रेमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट उम्र 30 साल निवासी ग्राम अबार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर की सुपुर्दगी में दिया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही मूल पत्रावली धारा 6ए,ईसी एक्ट सरकार बनाम सतबीर सिंह बगै0 में संलग्न हो ।

जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 16:29:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: